न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34 / 2026(GCMS 2026/76)

(RTI No. 212495826784211)

श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह नाथ बास, रूपगढ़, तहसील हातारोसगढ़, जिला सीकर

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भरत सिंह शेखावत स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भरत सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से 01 बिन्दु की सूचना दिनांक 11.02.2026 को अपने ऑनलाईन आवेदन से चाही थी, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने नामन्तरण संख्या उपलब्ध न होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने नामान्तरण संख्या एवं दिनांक उपलब्ध करवाते हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भरत सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.02.2026 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थीः

> मुरब्बा नम्बर 87 / 353, 13 एसएचपीडी सरदागढ़ तहसील सूरतगढ़ उक्त जमीन मेरे दादाजी स्वर्गीय गंभीर सिंह पूत्र अजीत सिंह जो कि आर्मी के दिव्यांग फौजी थे, आर्मी नम्बर –2844638 इनको आवंटित हुई थी, वर्तमान में यह जमीन किसी ओर के नाम है, हमे इस बात का अंदेशा है कि इस जमीन को किसी ने धोखे से या डरा धमका कर अपने नाम कर ली है, इस जमीन का हमें संपूर्ण मय रजिस्ट्री, और यह जानकारी चाहिए कि इसका बेचने का आधार क्या था, नामांतरण के समस्त प्रूफ चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. / 2026 / 7191 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को पत्रांक 6680 दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से जवाब प्रेषित किया है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र संख्या 212634948621724 द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई निश्चित राजस्व अभिलेख की मांग नहीं की गयी है एवं वांछित राजस्व अभिलेख नामान्तरण हेतु आवश्यक विशिष्टयां यथा नामन्तरण संख्या, नामान्तरण दिनांक आदि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाए जाने से एवं वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने से नियमानुसार देय नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के अनुसार लोक प्राधिकरण द्वारा चाही गई सूचना दी जो सकती है जो दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी अथवा अन्य रूप से संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती हैं। खोज कर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डॉ. सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना सृजित करके नहीं दी जा सकती है, पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान राज्स सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील संख्या अनवान राकेश सोनी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 के अनुसार राज्य विभाग के अभिलेखों संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभागीय नियम निर्धारित है। अतः अपीलार्थी वांछित अभिलेखों की प्रति विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर संबंधित नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त कर सकते है।

अतः आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने एवं वांछित अभिलेख हेतु विशिष्टयों का अभाव होने तथा कोई निश्चित राजस्व अभिलेख का विवरण अंकित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील अधिकारी जिला अपीलीय एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सूचित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 34 / 2026
(GCMS No. 2026/76)
(RTI No. 212495826784211)
भरत सिंह शेखावत बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

सहायक लोक सूचना अधिकारी **एवं** तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु अपीलार्थी ने अपनी अपील में नामान्तरण संख्या 56 एवं दिनांक 21.03.1999 का अंकन कर, सूचना चाही है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये नामान्तरण संख्या एवं दिनांक अनुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पुनः निर्णय पारित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested